

कार्यालय ज्ञापन

**विषय - राजभाषा नीति और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में**

-----

यह देखा गया है कि मंत्रालय के मुख्यालय स्थित विभिन्न अनुभागों में भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। अनुभागों के कार्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन राजभाषा नीति के बारे में अनभिज्ञता के कारण हो रहा है।

2. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प, 1968 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में काम-काज करना और उसका विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3. राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (3) में यह कहा गया है कि निम्नलिखित 14 प्रकार के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएं -

(i) सामान्य आदेश	(vi) प्रेस विज्ञप्तियां	(xi) अनुज्ञापत्र
(ii) संकल्प	(vii) सरकारी कागज पत्र	(xii) टेंडर नोटिस
(iii) नियम	(viii) संविदाएं	(xiii) टेंडर फार्म
(iv) अधिसूचनाएं	(ix) करार	(xiv) संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट
(v) प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	(x) अनुज्ञप्तियां	

मंत्रालय के सभी अनुभागों से इन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अपेक्षित है। द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी चेकप्वाइंट होते हैं।

4. राजभाषा नियम, 1976 में भारत के भौगोलिक प्रदेश को हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार की स्थिति के अनुसार तीन क्षेत्रों में बांटा गया है - 'क' क्षेत्र, 'ख' क्षेत्र और 'ग' क्षेत्र। क क्षेत्र में मुख्यतः हिंदी भाषी प्रदेश आते हैं, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली। ख क्षेत्र में वे प्रदेश हैं जहां हिंदी मुख्य भाषा नहीं है किंतु जहां हिंदी व्यापक रूप में बोली और समझी जाती है, अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली। ग क्षेत्र में वे प्रदेश शामिल हैं जहां हिंदी का प्रयोग कम है अर्थात् वे प्रदेश जो क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

राजभाषा विभाग दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प के अनुसरण में जारी वर्ष 2014-15 के लिए मुख्यालय का 'संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम' में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हमारे मंत्रालय द्वारा 'क' क्षेत्र और 'ख' क्षेत्र को 100% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए और 'ग' क्षेत्र 65% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। फाइलों में लिखी गई टिप्पणियों का 75% हिंदी में होनी चाहिए और हमारे मंत्रालय की वेबसाइट 100% द्विभाषी होनी चाहिए।

जारी....

